

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक-01/बजट-यो0-705/2026-08 अगस्त / पटना, दिनांक- 21 अगस्त, 2026
प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

- विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
- सहायक निदेशक,
ईख विकास, दरभंगा।

विषय : "सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में विशेष गन्ना क्षेत्र विकास अभियान" हेतु राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल मो० 1,82,65,000.00 (एक करोड़ बेरासी लाख पैंसठ हजार) रुपये की आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-300 स्वी०/CC दिनांक-13.08.2026 के द्वारा "सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में विशेष गन्ना क्षेत्र विकास अभियान" हेतु राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल मो० 281.00 (दो सौ इक्कासी) लाख रुपये मात्र के योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि मो० 281.00 (दो सौ इक्कासी) लाख रुपये के विरुद्ध वित्त विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में 65 प्रतिशत राशि मो० 1,82,65,000.00 (एक करोड़ बेरासी लाख पैंसठ हजार) रुपये का आवंटन किया जा रहा है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार श्रेणीवार आवंटित राशि के अधीन मदवार आवश्यकता अनुसार राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट शीर्षवार उपबंधित राशि एवं विकलनीय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

बजट शीर्ष	निकासी हेतु स्वीकृत राशि/विकलनीय राशि (लाख रु० में)	निकासी हेतु आवंटित राशि (लाख रु० में) (65 प्रतिशत)
मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08-उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-201- चीनी, उपशीर्ष-0103, आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852082010103 13 01 कार्यालय व्यय।	232.387	151.052
योग (क) -	232.387	151.052
मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101, आर्थिक सहायता, विपत्रकोड-45- 2852087890101 13 01 कार्यालय व्यय।	44.96	29.224
योग (ख) -	44.96	29.224
मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-08- उपभोक्ता उद्योग, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष- 0102, आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-45-2852087960102 13 01 कार्यालय व्यय।	3.653	2.374
योग (ग) -	3.653	2.374
कुल योग :-	281.00	182.65

3. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 (वि०) 2 दिनांक-17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-314/वि० दिनांक-01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

5. आवंटित राशि जिस श्रेणी हेतु आवंटित की गयी है, उसी श्रेणी से संबंधित बजट शीर्ष से निकासी की जाएगी।

6. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. इस योजना हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-300 स्वी०/CC दिनांक-13.08.2026 में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में योजना का कार्यान्वयन तथा राशि का व्यय नियमानुसार किया जायगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए संबंधित कार्यालय पूर्णतः जबाबदेह होंगे।

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-705/2026-08/072 /पटना, दिनांक- 21 अगस्त, 2026
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-01/बजट-यो०-705/2026-08/072 /पटना, दिनांक- 21 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग/उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

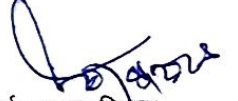
ज्ञापांक-01/बजट-यो०-705/2026-08/072 /पटना, दिनांक- 21 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट-1'
राज्य योजना अंतर्गत सकरी एवं रैयाम चीनी मिल क्षेत्र में विशेष क्षेत्र विकास अभियान योजना का वर्ष 2026-27 अंतर्गत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने श्रेणीवार स्वीकृत राशि की विवरणी।

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यालय का नाम	विषय शीर्ष - 13 01 कार्यालय व्यय आवंटित राशि (लाख रू० में) (65 प्रतिशत)				कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		सामान्य 45-2852082010103	अनु० जाति 45-2852087890101	अनु० जन जाति 45-2852087960102	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	138.494	26.795	2.177	167.466	कोषागार, दरभंगा
2	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	12.557	2.429	0.197	15.184	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना
	योग-	151.052	29.224	2.374	182.650	


ईखायुक्त, बिहार।